तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

दोनो पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 11 सी.पी.सी पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस है कि वादीगण द्वारा मौजा मिठौडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 413 को लेकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपरोक्त वाद बाबत अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्री न्यायालय में दायर किया गया है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 413 के अलावा मौजा मिठौडा तहसील सिवाना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 390, 633/650/2, 633/2 व 650 अवस्थित है। जिस पर वादीगण द्वारा 03.06.1992 में सहायक कलक्टर महोदय बालोतरा के समक्ष बंटवाडा का वाद प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध पेश किया गया था जिसके मुकदमा नम्बर 42/1992 थे, उक्त मुकदमा का कैम्प कोर्ट मिठौडा में वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से खसरा संख्या 390, 633, 650/2 व 633/2 वादीगण को तथा खसरा संख्या 413 व 650 प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक में दी गई, तथा इसी आशय की डिक्री न्यायालय सहायंक कलक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 03.06.1992 को पारित की गई तब से प्रतिवादीगण का अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त कायम है, वादीगण द्वारा तथ्य को छुपा कर उक्त दावा पेश किया गया है वादीगण ने पूर्व निर्णित वाद संख्या 42/1992 फैसला दिनांक 03.06.1992 अनवान धुंकाराम वगैराह बनाम गंगाराम के तथ्यों को उक्त वाद पत्र में लोप किया है,तथा श्री न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आया है पूर्व वाद दोनो पक्षकरान के सहमति से जरिये राजीनामा कैम्प कोर्ट मिठौडा मे निर्णित हो चुका है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकेटा का सिद्वांत लागू होने से वादीगण का वाद मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनवान संख्या 2896/2006 पुष्पादेवी भगत बनाम राजेन्द्रसिंह वगैराह , बनवारी लाल बनाम श्रीमती चंदो देवी , माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 14.10. 1977 को T.Arivandandam vs T.V. Satyapal,(1977 (4)467 SCC, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णित स.बी.सिविल रिट संख्या 38/2010 अनन्तपालसिंह बनाम सुमेरसिंह, एस.बी.सिविल रिवीजन 225/2007 जगदीश नारेन पारीक बनाम कमलेश जैन वगैरा व माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सिविल अपील संख्या 2960/2019 राघवेन्द्र शारण सिंह बनाम राम प्रसन्ना सिंह की नजीर पेश की गई।

वादीगण की बहस है कि वादीगण द्वारा कोई राजीनामा किसी भी रूप में पेश नहीं किया गया है, अगर वादीगण की ओर से किसी अन्य के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र रच गढकर ऐसा कोई कृत्य गया है तो उसके जिम्मेवारी वादीगण की नहीं [illegible] अधिवक्ता ने आगे बहस में कथन किया कि खातेदार [illegible] भूमि का बंटवाडा जब चाहे कितनी भी बार करवाने हेतु [illegible] फलस्वरूप उक्त वाद पत्र में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त [illegible] नहीं होता है वादग्रस्त भूमियों को पूर्व में [illegible] कोई जानकारी वादीगण को नहीं है यदि बंटवाडा हुआ भी हो तो वादीगण उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुश्तैनी हक हिस्सा व स्वत्व का अधिकार रखते है फलस्वरूप बंटवाडा के बाद घोषणा का वाद पत्र पेश करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण कुम्भाराम , नैनाराम व मकाराम इत्यादि

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:44:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील हुए

वास्तविक रूप से चौधरी जाट जाति से है जिनके हक में की गयी रजिस्ट्री एवं तकमील किये गये खातेदारी अभिलेख स्वत्व ही अपास्त व शुन्य हैं, पूर्व वाद मे पक्षकार तथ्य, परिस्थितियों एवं अनुतोष इत्यादि पूर्ण रूप से भिन्न है फलस्वरूप उक्त वाद पत्र बखुबी रूप से चलने योग्य है लिहाजा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस की सुनी व पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन व मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया।

यहां न्यायालय को यह तय करना था कि यह वाद अज अदालत में विचरणीय है अथवा नहीं ?

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.– वाद पत्र का नामंजूर किया जानाः– वाद पत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर किया जाएगा

(क) जहाँ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है कि वादी मूल्याकंन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है,ऐसा करने मे असफल रहता है ;

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है,ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता हे कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

(ड) जहां यह दो प्रतियों मे फाइल नहीं किया जाता है;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

धारा 11 सी.पी.सी. इस धारा के अनुसार– जिस विषय का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पहले ही अंतिम रूप से किया जा चुका है,उसी विषय पर वही पक्षकार (या उनके उत्तराधिकारी) दोबारा मुकदमा नहीं कर सकते।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर बालोतरा में विचाराधीन वाद संख्या 42/1992 धुकाराम वगैराह बनाम गंगाराम में ग्राम मिठौडा के खसरा संख्या 390, 633, 650/2, 633/2 ,413 व 650 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होने से खसरा संख्या 390, 633, 650/2 व 633/2 वादीगण को तथा खसरा संख्या 413 व 650 प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक में दी गई, वादी द्वारा उक्त वाद मात्र खसरा संख्या 413 का घोषणा , रेकर्ड दुरूस्ती व व्यादेश का प्रस्तुत किया गया जबकि खसरा संख्या 413 का आपसी सहमति से प्र[illegible] वाद संख्या 42/1992 धुकाराम वगैराह बनाम गंग[illegible] खीमाराम स्वंय पक्षकार था अर्थात [illegible] पूर्णतया जानकारी था, वादी [illegible] राजीनामा को [illegible] भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती [illegible] उक्त राजीनामा के करीब 33 वर्ष पश्चात यह केवल खसरा संख्या 41[illegible] घोषाणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश अदालता हाजा में पेश किया गया, अर्थात वादी द्वारा उक्त वाद स्वच्छ हाथो से इस अदालत हाजा में पेश नहीं किया गया, वादीगण ने अपने जवाब में राजीनामा के पूर्णतया अस्वीकार किया है जबकि उक्त राजीनामा के द्वारा ही वादीगण को खसरा संख्या 390, 633, 650/2 व 633/2 दी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:44:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Rathinavel Chettiar v. V. Sivaraman (1999) 4 SCC 89 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार यदि वादी ने पहले अपने अधिकारों को स्वीकार कर लिया हो या छोड दिया हो तो बाद में उन्हीं के लिए नया वाद अस्वीकार्य है, इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sulochana Amma v. Narayanan Nair(1994) 2 *SCC 14* में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार एक मुद्दे का अंतिम निर्णय हो जाने पर उसी मुद्दे पर दोबारा वाद धारा *11 CPC (Res Judicata)* से बाधित होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Banwari Lal v. Chando Devi (1993) 1 SCC 581 प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार Order 23 Rule 3 CPC के अन्तर्गत हुआ समझौता/सहमति पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और उसके विपरित वाद खारिज किया जाना चाहिए वादी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 03.06.1992 को राजीनामा के आधार पर जारी डिक्री को कभी भी चुनौती नहीं दी जाकर डिक्री में वर्णित खसरा संख्या 413 का घोषणा , स्थाई निषेघाज्ञा तथा व्यादेश का वाद पत्र अदालत हाजा में प्रस्तुत किया है जो आदेश 23 नियम 3 सी.पी. सी. व आदेश *11 CPC (Res Judicata)* से बाधित है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Rathinavel Chettiar v. V. Sivaraman (1999) 4 SCC 89 , Sulochana Amma v. Narayanan Nair(1994) 2 *SCC 14,* व Banwari Lal v. Chando Devi (1993) 1 SCC 581 प्रतिपादित सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया लागू होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को सरे इलजास सुनाया गया

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:44:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादीगणः–

1. खीमाराम पुत्र गणेशाराम जाति भील निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. धूंकाराम पुत्र गणेशाराम जाति भील निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. कानाराम पुत्र गणेशाराम जाति भील निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कुम्भाराम पुत्र भींयाराम जाति भील निवासी सरती तहसील पचपदरा जिला बालोतरा उर्फ कुम्भाराम पुत्र हीराराम उर्फ हरीराम जाति जाट निवासी सरली तहसील पचपदरा हाल निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. नैनाराम पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी चंदननगर मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. बाबुराम पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी चंदननगर मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. मकाराम पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी चंदननगर मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. शंकराराम पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी चंदननगर मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. मादाराम पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी चंदननगर मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

दावा बाबत् अधिकार घोषणा,रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर :–91 / 2024 **निर्णय दिनांक :–30.01.2026**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री उम्मेदसिह चम्पावत व श्री महावीरसिंह अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री श्रवण जांगिड़ अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह्व पेश होकर डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. व आदेश ***11 CPC (Res Judicata)*** से बाधित होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.01.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:44:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना